Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पुलिस थाना बिलाड़ा का सहायक उपनिरीक्षक 7 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अप्रेल, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामाकिशन विश्नोई सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर को परिवादी से **7 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाने में भैंस चोरी के दर्ज मुकदमें में आरोपी नहीं बनाने की एवज में रामाकिशन विश्नोई सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा **15 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के निर्देशन में द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** एवं टीम के देर रात ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी रामाकिशन विश्नोई पुत्र श्री गुरूराम विश्नोई निवासी ग्राम ठाड़िया, तहसील सेखाला, पुलिस थाना चामु, जिला जोधपुर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर को परिवादी से **7 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।